न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 83/2023

वाद दायरी दिनांक :– 12.09.2023

1.रामनिवास पुत्र स्व. लच्छाराम 1

2 श्रीमती तीजा स्त्री स्व. लच्छाराम 2

3. श्रीमती सुमन पत्नी स्व. मदनलाल

4. किरण पुत्री मदनलाल

5. निकिता पुत्री मदनलाल

6. सचिन पुत्र मदनलाल

7 अरविन्द पुत्र मदनलाल

8. श्रीमती प्रेम पत्नी स्व. दारासिंह

9. सुमित कुमार पुत्र स्व. दारासिंह

10. अभिषेक पुत्र स्व. दारासिंह नाबालिक जरिये कुदरती वली माता श्रीमती प्रेम पत्नी स्व. दारासिंह

11 तनिशा पुत्री स्व. दारासिंह नाबालिक जरिये कुदरती वली माता श्रीमती प्रेम पत्नी स्व. दारासिंह

12. फुलचन्द उर्फ पप्पू पुत्र स्व. लच्छाराम

समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण

बनाम

1– प्यारेलाल पुत्र धुकलराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

2 हरिराम पुत्र धुकलराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भोजासर

3 तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री अमरपाल एडवाकेट

दावा बाबत धोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 07.08.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि य क 1. ग्राम व पटवार हल्का भोजासर मे कृषि भूमि गत खसरा नं. 178 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं 105 रकबा 2.2300 हैक्टर स्थित हैं।वादपत्र की धारा 1 में वर्णित कृषि भूमि को वादीगण 1 व 12 के पिता व वादीया नं. 2 के पति, वादीया नं. 3 व 8 के ससुर तथा वादीगण 4 लगायत 7 व 9 लगायत 11 के दादा लच्छा उर्फ लच्छाराम व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता धुकल उर्फ धुकलराम जो आपस मे दोनो सगे भाई थे, उक्त लच्छाराम व धुकलराम के पिता का नाम बालू उर्फ बालूराम था उक्त लच्छाराम व धुकलराम उक्त कृषि भूमि वादपत्र की धारा 1 में वर्णित को बराबर 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त थे तथा दोनो भाई अपने–अपने हिस्से का अलग–अलग लगान अदा किया करते

Scanned with OKEN Scanner

थे। उक्त दोनों भाईयो मेचुकलराम बड़ा भाई था। उक्त लच्छाराम व धुकलराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त दोनों भाईयों के विधिक व कानूनी वारिसान अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 तथा जमाबन्दी 2018 से 2021 व जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में दर्ज व अंकित अनुसार साफ जाहिर है कि उक्त लच्छा व धुकल ही उक्त कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे।वादपत्र की धारा 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड के समबन्ध में एक नामान्तरकरण संख्या 103 ग्राम पंचायत भोजासर के समक्ष प्रस्तुत हुआ उक्त नामान्तरकरण भी उक्त दोनो भाईयों लच्छा. धुकल पुत्र बालू के नाम से ही दर्ज हुआ तथा उक्त नामान्तरकरण की पूर्ण जांच व कार्यवाही प्रभाव में लाकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया तथा उक्त कृषि भूमि जागीर खालसा होने के पूर्व से ही उक्त दोनों भाई बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज व काश्त चले आ रहे थे, तथा दोनो भाईयों का स्वर्गवास होने के बाद से ही उनके कानूनी विधिक वारिसान मौके पर उक्त कृषि भूमि में 1/2 वादीगण सयुक्त रूप से तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नं. 1 व 2 काबिज काश्त होकर आज भी काबिज काश्त हैं तथा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि को काश्त व बुआई शान्तिपूर्वक करते आ रहे हैं।वादपत्र की धारा 1 में वर्णित कृषि भूमि को मौके पर उक्त – धुकलराम व लच्छाराम बराबर–बराबर के हक हिस्से को काश्त करते थे व उसी प्रकार अपने अपने हक हिस्से के रिकार्बेड खातेदार काश्तकार थे तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2025 तक दोनों भाईयों का नाम अंकित व दर्ज चला आ रहा था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही तथा सहवन से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2034 मे उक्त लच्छाराम का नाम अंकित व दर्ज नहीं हुआ तथा उसी रिकार्ड के अनुसार आगे राजस्व रिकार्ड बनता चला गया जो उक्त लच्छाराम व उसके वारिसान के हकों के खिलाफ हैं। तथा उक्त गलत रिकॉर्ड राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया उससे भी वादीगण पाबन्द नही है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1. 2 उक्त कृषि भूमि पर अपने अपने हक हिस्से 1/2, 1/2 पर काबिज व काश्त चले आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर वादीगण एव प्रतिवादीगण 1. 2 उक्त कृषि भूमि के 1/2, 1/2 पर काश्त कर रहे है तथा अपनी अपनी सहूलियत अनुसार फसल बोकर शांतिपूर्वक निराई व कटाई करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार भी वे अपने अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।वादीगण पिता लच्छाराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद वादीगण अपने हको की रक्षार्थ हेतु विरासतन नामान्तकरकरण दर्ज करवाने वास्ते हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब उक्त हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के बारे मे वादीगण को बताया कि आपके पिता लच्छाराम का नाम उक्त कृषि भूमि केराजस्व रिकार्ज में अंकित नहीं है तब वादीगण को इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड के बारे मे ज्ञान व आभास हुआ। उसके उपरान्त बादीगण ने उक्त कृषि भूमि का पुराना व नया राजस्व रिकार्ड की नकलों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व वाचीगण को उक्त रिकार्ड की नकले मिलने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण नं. 1, 2 को उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु कहा बाला–बाला आश्वासन देकर समय निकालते रहे अब जून 2022 के द्वितीय सप्ताह में प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने साफतौर पर इन्कार कर दिया कि उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व मे हमारे पिता व अब हमारे दोनो भाईयों के नाम चला आ रहा हैं। आपका इस आराजीयात यानी कृषि भूमि मे कोई लेना देना नहीं और हम कभी भी रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं करवायेगें। आपको भविष्य में इस कृषि भूमि को काश्त भी नहीं करने देगें तथा राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम से हैं। इस जमीन को हम विक्रय कर देगें तब जाकर वादीगण को यह

दावा न्यायालय हाजा के समक्ष अपने हितो की रक्षार्थ हेतु पेश करना आवश्यक हुआ हैं।वादपत्र की धारा 1 मे वर्णित कृषि भूमि के कुल रकबा मे से 1/2 हिस्से पर जो पूर्व दिशा मे प्रतिवादीगण नं. 1, 2 काश्त व काबिज हैं तथा पश्चिम दिशा में 1/2 पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं उक्त रिकार्ड कब्जे शुदा उक्त कृषिभूमि में चादीगण का संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।प्रतिवादी नं 4 लैण्ड होल्डर है, जो आवश्यक पक्षकार हैं इस कारण इसे भी प्रतिवादी बनाया गया है। तथा प्रविनाकीने बानी शामी बैंक से लेकर अपनी काया गया है। बिनाए मुखास्मत दावा हाजा के लिए माह अक्टूबर, 2021 के अन्तिम सप्ताह में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण नं 1 व 2 को उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने को कहा जिस पर प्रतिवादी नं 1 व 2 बाला–बाला आश्वासन देते रहे परन्तु प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 द्वारा को वादीगण वादग्रस्त भूमि में माह जून 2022 के अन्तिम सप्ताह में साफ इन्कार होने व उनके हिस्से 1/2 को काश्त नहीं करने देने की धमकी देने के रोज स्व. वादग्रस्त भूमि की रेवेन्यू रिकार्ड की नकल लेने पर गलत रेवेन्यू रिकार्ड दर्ज होने की जानकारी होने पर श्पलल ष्बेन्यू रिकॉर्ड दर्ज होने की जानकारी होने पर, माह अक्टूबर, 2021 व माह जून 2022 के अन्तिम सप्ताह में प्रतिवादी नं. 1 व 2 को रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने को कहने पर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 साफ मण्डाना इन्कार कर देने के रोज बमुकाम (झुंझुनूं) न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।यह कि दावा वाचीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण नं. 1. 2 स्वीकारकरमावा जाकर वादीगण के हक में डिकी इस आश्य की फरमाई जाये कि भूमि हाल खसरा नं. 105 रकबा 2.2300 हैक्टर में वादीगण का 1/2 हिस्सा है उक्त हिस्से अनुसार वादीगण को उक्त कृषि भूमि के कुल रकबा में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त फरमाया जावें। अन्य सिद्धि जो लाभार्थ वादीगण हो एव भूलवश चाही जाने से रह गई हो, वो भी दिलवाई जायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 01 व 02 ओर से अभिभाषक उपस्थित हुआ परन्तु कोई जबाब दावा पेश नही किया गया । प्रतिवादी न0 03 लगायत 04 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी पक्ष की ओर से रामनिवास के द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पेश किया । प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर दस्तावेत प्रर्दश –1 मिलान क्षेत्रफल, प्रर्दश –2 नामान्तरकरण संख्या 103प्रर्दश–3 मिलान क्षेत्रफल प्रर्दश –4 जमाबन्दी सम्वत 2012 प्रर्दश –5 जमाबन्दी सम्वत 2018–2021, प्रर्दश–6 जमाबन्दी सम्वत 2030–34, प्रर्दश–7 जमाबन्दी 2038–41, प्रर्दश–8 जमाबन्दी सम्वत 2045–48, प्रर्दश– 9 जमाबन्दी 2047–2050, प्रर्दश–10 जमाबन्दी 2074–2077 डाले गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष के निवेदन पर की वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजासर के भूमि हाल खसरा नं. 105 रकबा 2.2300 हैक्टर में वादीगण का 1/2 हिस्सा है उक्त हिस्से अनुसार वादीगण को उक्त कृषि भूमि के कुल रकबा में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी मंडावा, जिला झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में सम्वत 2012 से 2025 की जमाबन्दीयो में उक्त वादग्रस्त आराजी वादी पूर्वज लच्छा व प्रतिवादी के पूर्वज धुकल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त वादग्रस्त आराजी केवल धुकल के वारिसान के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजासर के भूमि हाल खसरा नं. 105 रकबा 2.2300 हैक्टर में प्रतिवादी 01 व 02 के सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सा हजफ किया जाकर हजफ 1/2 हिस्से में से वादी संख्या 01 को 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी न0 02 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 12 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 03 लगायत 07 को 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से, प्रतिवादी 08 लगायत 11 को 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। बैंक रहन प्रतिवादी न0 01 हिस्से में रहेगा ।तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला-झुं...

Scanned with OKEN Scanner

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 83/23 रामनिवास बनाम प्यारेलाल वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.08.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजासर के भूमि हाल खसरा नं. 105 रकबा 2.2300 हैक्टर में प्रतिवादी 01 व 02 के सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सा हजफ किया जाकर हजफ 1/2 हिस्से में से वादी संख्या 01 को 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी न0 02 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 12 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी न0 03 लगायत 07 को 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से, प्रतिवादी 08 लगायत 11 को 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। बैंक रहन प्रतिवादी न0 01 हिस्से में रहेगा । को जारी की गई।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.08.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मंडावा, जिला झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner